

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर)

ब्रमांक-एफ.-1(79)/डी.एम.ई./सस्था./2016/6076

दिनांक 14/9/2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या प. 1(79)/डी.एम.ई./राजमेस/2017/5684 दिनांक 30.08.17 के द्वारा क्रम संख्या 1 पर जो अभ्यार्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और अभी तक निर्धारित अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पाये हैं, वो अग्रिम आदेश तक ज्वाईन के लिए शिथिलता प्रदान की गई थी, उक्त सभी अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.09.17 तक कार्यग्रहण करें।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

ब्रमांक-एफ.-1(79)/डी.एम.ई./सस्था./2016/6076

दिनांक 14/9/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाडा।
4. सदस्य.....राजमेस, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यार्थी डा0.....
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर